आरई-8

प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विनियम

[दिनांक 01.12.2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 29वीं बैठक में संकल्प सं ईसी 29.05.1 (i) द्वारा अनुमोदित]

(अध्यादेश ओसी-8 के अधीन)

सिक्किम विश्वविद्यालय नियमित यूजी,पीजी, एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के अलावा विद्यापीठ के संबन्धित विभागों द्वारा संचालित प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर (छः माह) के लिए है और डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो सेमेस्टर (एक वर्ष) की अवधि के लिए होगा। प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सिक्किम विश्वविद्यालय के "विशेष पाठ्यक्रम" का दर्जा दिया जाएगा और विशेष पाठ्यक्रम के सामान्य निमयों द्वारा संचालित किया जाएगा।

1. प्रवेश के लिए पात्रता

i) 50 प्रतिशत अंकों (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडबल्यूडी के लिए 45 प्रतिशत) के साथ स्नातक छात्र इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। चयन योग्यता, जैसे कि पिछली डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। छात्रों को उनके नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ किसी एक प्रस्तावित पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने की अनुमति दी जाएगी।

ii) प्रवेश के लिए इच्छुक प्रार्थी को निर्धारित शुल्कों का भुगतान करने पर विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। किसी भी आवेदन को प्रवेश के लिए तबतक स्वीकार नहीं जाएगा जबतक आवेदन पर अपने हस्ताक्षर वाले फोटो की प्रमाणित प्रति सहित आवेदन सभी मामलों में पूर्ण न हो और सभी आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न न हो।

iii) अस्थायी प्रवेश को किसी भी आवेदक द्वारा अधिकार का विषय के रूपं में दावा नहीं किया जा सकता है। किसी आवेदक का अस्थायी प्रवेश अथवा पुनरप्रवेश पूरी तरह से प्रवेश समिति के विवेकाधीन होगा, जो किसी भी प्रार्थी को बिना कोई कारण बताए प्रवेश देने से अस्वीकार कर सकती है।

iv) संयुक्त योग्यता और प्रवेश की तिथि को सीटों की उपलब्धता के आधार पर अस्थायी प्रवेश सख्ती से किया जाएगा और केवल तथ्य यह है कि आमंत्रण पत्र भेजे गए प्रार्थी प्रवेश के लिए दावे करने हेतु हकदार नहीं होगा।

v) प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक प्रवेश समिति होगी, जिसे अध्यादेश के प्रावधानों के तहत और छात्र कल्याण डीन अथवा उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को शामिल करते हुए गठित की जाएगी। इन अध्यादेशों और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

vi) समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है।

2. अंतर्ग्रहण एवं आरक्षण

प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अंतर्ग्रहण संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रवेश आरक्षण किया जाएगा।

आरक्षण : अनुसूचित जाति के प्रार्थी का 15% हिस्सा
अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी का 7.5% हिस्सा
अन्य पिछड़ी जाति के प्रार्थी का 27% हिस्सा

क) उपर्युक्त वर्गों में प्रवेश के लिए इछूक प्रार्थियों को नून्यतम पात्रता शर्ते और योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

ख) एससी/एसटी/ओबीसी प्रार्थियों को उनके आवेदन पत्रों के साथ एक जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि प्रार्थी एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग से संबंधित है।

3. अध्ययन पाठ्यक्रम:

अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि के लिए होंगे और क्रमश: दो सेमेस्टर और छ: महीनों में विभाजित किए जाएंगे। किसी छात्र को डिप्लोम पाठ्यक्रम के लिए दो सेमेस्टर में 32 क्रेडिटों का अनिवार्य पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एक सेमेस्टर में 16 क्रेडिटों का अनिवार्य पाठ्यक्रम नीचे दिये गए विवरण के अनुसार देना होगा।

प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट योजना

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम *(केवल नमूना)*

पाठ्यक्रम कोड	सेमेस्टर	क्रेडिट	अंक
सीएचआर 101	मानव अधिकार : अवधारणा एवं सिद्धांत	04	100
सीएचआर 102	मानव अधिकारों का विकास	04	100
सीएचआर 103	संयुक्त राष्ट्र एवं मानव अधिकार	04	100
सीएचआर 104	भारत में मानव अधिकार	04	100

डिप्लोमा पाठ्यक्रम *(केवल नमूना)*

पाठ्यक्रम कोड	सेमेस्टर -I	क्रेडिट	अंक
सीएचआर 101	मानव अधिकार : अवधारणा एवं सिद्धांत	04	100
सीएचआर 102	मानव अधिकारों का विकास	04	100
सीएचआर 103	संयुक्त राष्ट्र एवं मानव अधिकार	04	100
सीएचआर 104	भारत में मानव अधिकार	04	100
पाठ्यक्रम कोड	सेमेस्टर - II	क्रेडिट	अंक
सीएचआर 201	मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य एवं फाउंडेशन	04	100
सीएचआर 201	अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार एवं	04	100

	कर्तव्य		
सीएचआर 203	सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित एवं मानव अधिकारी	04	100
सीएचआर 204	पर्यावरण एवं मानव अधिकार	04	100

4. कक्षा की समय-सूची:

विभिन्न विद्यापीठ के अंतर्गत विभिन्न विभागों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कक्षाएं शाम के समय आयोजित की जाएंगी अथवा ऐसी समयावधि के दौरान जो उचित होगी। अन्य संस्थानों से अन्य सामाजिक विज्ञान/प्राकृतिक विज्ञान/भाषा/व्यावसायिक अध्ययन के शिक्षकों को, मामला जो भी हो, इकाई में उल्लेखित विषयों पर व्याख्यान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम की अवधि:

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सम/विषम सेमेस्टर में संचालित किया जाएगा। यह छः महीने का पाठ्यक्रम है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो सेमेस्टर - सम और विषम सेमेस्टर में संचालित किया जाएगा। चूंकि**,** पाठ्यक्रम एक वर्षीय है।

6. शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम:

शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम भाषा से संबन्धित विभागों को छोड़कर अंग्रेजी होगा।

7. परीक्षा प्रक्रिया:

प्रत्येक सिद्धान्त/व्यावहारिक/सेमिनार/क्षेत्र कार्य/परियोजना कोर्स 100 अंकों का होगा। मूल्यांकन के लिए किसी पाठ्यक्रम में अंकों के वितरण का समग्र संरचना ऐसी होगी कि सेमेस्टर के दौरान विभिन्न आकलनों में 50 अंक आवंटित किए जाते हैं, जबकि 50 अंक सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा के लिए आवंटित किए जाएंगे।

क. **सत्रीय** :

i) सिद्धान्त पाठ्यक्रम के आकलन (सत्रीय) में कक्षा परीक्षण, पुस्तक समीक्षा और टर्म पेपर आदि शामिल होंगे।

ii) प्रत्येक पेपर में ऐसी कक्षा परीक्षण, पुस्तक समीक्षा और/टर्म पेपर को 50 अंक दिये जाएंगे, जिनमें से 25 अंक कक्षा परीक्षण के लिए, 25 अंक पुस्तक समीक्षा/व्यावहारिक कार्य/आदि और/अथवा 25 अंक टर्म पेपर के लिए दिये जाएंगे। 3 में से दो सर्वश्रेष्ठ अंकों को शामिल किया जाएगा।

iii) सत्रीय परीक्षा में प्राप्त अंकों को सूचना पत्र में प्रदर्शित किया जाएगा।

iv) जहां प्रार्थी किसी के अथवा अधिक पेपर में परीक्षा लेने में विफल होता है, अथवा परीक्षा में बैठता है किन्तु किसी एक अथवा अधिक पेपरों में अथवा औसत में नून्यतम उत्तीर्ण

अंक प्राप्त करने में विफल होता है तो उनके कक्षा परीक्षण, पुस्तक समीक्षा और/अथवा टर्म पेपर में प्राप्त अंकों को आगे की परीक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

ख. सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा एवं मूल्यांकन (50 अंकों के लिए) :

i) संबन्धित पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे और मॉडरेट किए जाएंगे और उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर किसी पाठ्यक्रम में एक से अधिक शिक्षक हैं तो सामान्य रूप से शिक्षक समूहों द्वारा प्रश्नपत्र बनाए जाएंगे और मूल्यांकन किए जाएंगे।

ii) प्रत्येक पेपर दो घंटे की अवधि के लिए होगा और व्यावहारिक पेपर, अगर कोई हो, तीन घंटे की अवधि के लिए होगा।

8. मूल्यांकन:

प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम क्रमश: 400 और 800 अंकों के लिए मूल्यांकित किए जाएंगे, जिनमें से 50 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 50 प्रतिशत अंक सेमेस्टर परीक्षा के लिए होंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नून्यतम अंक 45 प्रतिशत होंगे। छात्रों द्वारा प्राप्त किए जानेवाले अंकों के औसत प्रतिशत विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुरूप होंगे।

9. उपस्थिति:

प्रार्थियों को कम से कम 2/3 व्याख्यानों में उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है। विभाग के अध्यक्ष उनके विवेकानुसार सहानुभूति के आधार पर ही उपस्थिति में कमी को अनुमोदित कर सकते हैं, बशर्ते कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाए।

10. पाठ्यक्रम शुल्क :

क्र.सं.	**मद**	**राशि रुपये में**
1.	प्रवेश शुल्क	300.00
2.	अंक पत्र	200.00
3.	प्रमाणपत्र	300.00
4.	परीक्षा शुल्क	1000.00
5.	सेमेस्टर शुल्क	1800.00 (300x6)
10.	पंजीकरण	200.00
कुल		**3800.00**